राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प 07(117)/परि/नियम/1994/ 6715 जयपुर, दिनांकः 31/3/16

कार्यालय आदेश 10/2016

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 में संशोधन हेतु दिनांक 15.04.2015 को जारी अधिसूचना के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2015 को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना अनुसार 01.10.2015 से पूर्व राज्य में पंजीकृत (निम्नलिखित को छोड़कर) मोटर यानों में 1.04.2016 से AIS:018 मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व–निर्धारित गति वाले स्पीड गर्वनर उन यानों के ऑपरेटरों द्वारा फिट किए जायेंगे या लगाए जायेगें।

(i) दोपहिया ;
(ii) तिपहिया ;
(iv) चौपहिया साईकिल ;
(v) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ–साथ 8 यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ;
(v) अग्निशामक ;
(vi) एंबुलेंस ;
(vii) पुलिस यान ;
(viii) नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणिकृत अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है ;

परंतु संकटग्रस्त माल वहन करने वाले परिवहन यानों और ऐसे परिवहनयान जो डंपर, टैंकर या बाल वाहिनी है, में 60 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व निर्धारित गति वाले स्पीड गर्वनर लगाए जाएंगे।

उक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2016 एवं इसके बाद उपरोक्त श्रेणी के परिवहन यानों में AIS:018 मानक के स्पीड गवर्नर वाहन स्वामी द्वारा लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहनों में लगाये जाने वाले स्पीड गवर्नर केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 118 (1) एवं 124 (2) के प्रावधानुसार क्रमशः AIS:018 मानको के अनुरूप ही होना अनिवार्य है। निर्धारित मानको के स्पीड गवर्नर भिन्न– भिन्न वाहन मॉडल व वेरीयन्ट हेतु भिन्न–भिन्न निर्मित किए जाते है। विशिष्ठ प्रकार का स्पीड गवर्नर एवं विशिष्ठ वाहन मॉडल/ वेरीयन्ट की गति नियंत्रण हेतु समर्थ होगा। इस तथ्य का प्रमाणीकरण केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित जांच एजेन्सियों द्वारा किया जाकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अतः पृथक वाहन मॉडल/ वेरीयन्ट हेतु प्रमाणित स्पीड गवर्नर ही लगवाया जाना अपेक्षित है।

---2

अतः समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है :–

1. कार्यालय में पुनः पंजीयन अथवा फिटनेस प्रमाण–पत्र हेतु वाहन के भौतिक सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जावे कि वाहनों में अधिसूचना के अपेक्षानुसार स्पीड गर्वनर लगा हुआ है। इस सत्यापन के पश्चात् ही आवेदन का निस्तारण किया जावे।
2. संबंधित अधिकारी स्पीड गर्वनर की गुणवत्ता एवं वाहन के मॉडल वैरिएन्ट के अनुरूप स्पीड गर्वनर सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्पीड गर्वनर निर्माता द्वारा नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जांच एजेंसियों से प्राप्त टाईप अप्रूवल(T.A.C.) एवं C.O.P. प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त करेंगें एवं ऐसे विनिर्माताओं की सूची भी कार्यालय में संधारित करेंगें।
3. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 118 (1) में वाहन में निर्धारित मानक के स्पीड गवर्नर लगाये जाने के बाद उसे राज्य परिवहन प्राधिकार या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा सील करने का प्रावधान दिया गया है। प्रत्येक ऐसे वाहन जिसमें स्पीड गवर्नर लगाया जाना है को जयपुर STA/RTA के कार्यालय में उपस्थित होकर स्पीड गवर्नर को सील करवाने में होने वाली व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजित संबंधित जिलों में पदस्थापित अति. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जो कि प्रादेशिक परिवहन मुख्यालयों पर अति0 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन मुख्यालयों पर जिला परिवहन अधिकारी पद पर कार्यरत है, पूर्व में किया जा चुका है।
4. अधिकृत प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्पीड गवर्नर सील करने हेतु प्रस्तुत वाहन के मॉडल/ वेरीयन्ट के अनुरूप ही स्पीड गवर्नर लगे होने की पुष्टि करने के पश्चात ही उसे मुख्यालय द्वारा जारी किए गए सीलिंग प्लायर की सहायता से इस प्रकार सील करेगा कि प्लायर के साथ जुडी विभागीय सील का इप्रेंशन शीशे की सील पर स्पष्ट रूप से अंकित हो एवं उक्त सील के बिना तोडे स्पीड गवर्नर को खोला , हटाया या इससे छेडछाड नहीं की जा सके एवं वाहन का फिटमेंट मौके पर ही निरस्त किया जाएगा।
5. उपरोक्त सील करने के पश्चात ही संबंधित वाहन का पुनः पंजीयन या फिटनेस प्रमाण पत्र यथा वांछित, जारी किया जा सकेगा। सील किए स्पीड गवर्नर में यदि किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आवें तो उसे निर्माता कम्पनी के अधिकृत वर्कशॉप पर ही मरम्मत हेतु खोला जावेगा। लेकिन इसके लिए संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी तथा स्पीड गवर्नर मरम्मत होने के तुरन्त बाद पुनः विधिवत अधिकृत प्राधिकारी से सील करवाना आवश्यक है।
6. किसी भी वाहन में किसी भी कारण से बिना सील या , सील के साथ छेडछाड किया हुआ स्पीड गवर्नर पाया जाता है तो उस वाहन को बिना स्पीड गवर्नर लगे वाहन की श्रेणी में ही माना जावेगा।
7. निर्धारित दिनांक एवं अवधि पश्चात अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 में वर्णित श्रेणी के परिवहन वाहनों को बिना उचित स्पीड गवर्नर लगाये बिना सील किए हुए अथवा सील से छेडछाड किए हुए स्पीड गवर्नर के सार्वजनिक स्थान पर संचालित पाये जाने पर संबंधित वाहन चालक/वाहन स्वामी/ईचाज के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी।

8. भविष्य में चैकिंग के समय इस प्रकार बिना फिटनेस वाहनों के संचालित पाए जाने पर नियमानुसार चालान बनाया जा कर कार्यवाही की जावे।
9. प्राधिकृत अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके क्षेत्राधिकार में संचालित वाहनों में लगाये गए स्पीड गवर्नर का सम्पूर्ण अभिलेख संधारित करें। इसी के साथ स्पीड गवर्नर निर्माता/डीलर द्वारा जारी फिटमेन्ट सर्टिफिकेट, गर्वनर सीलिंग विवरण, मरम्मत इन्द्राज विवरण आदि का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करें एवं आवश्यकतानुसार मुख्यालय द्वारा मांगे जाने पर संबंधित सूचना अविलम्ब उपलब्ध करावें।
10. अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि स्पीड गवर्नर निर्माता/डीलर द्वारा जारी फिटमेन्ट प्रमाण–पत्र मय होलोग्राम स्टीकर व बिल के साथ जारी हो। इस प्रमाण–पत्र में स्पीड गवर्नर व वाहन का पूर्ण विवरण यथा सीरियल नम्बर, फिटमेन्ट की दिनांक, वाहन का पंजीयन क्रमांक, इंजन नं., चैसिस न. , वाहन प्रकार अंकित हो।
11. अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्तानुसार फिटमेन्ट के साथ यथोचित सीलिंग वायर व सील प्रत्येक स्पीड गवर्नर के साथ वितरीत की जावें।

स्वाभाविक है कि 1 अक्टूबर 2015 से या उसके पश्चात् विर्निमित वाहनों का पंजीयन आपके द्वारा तभी किया जा रहा होगा जबकि वाहन में विनिर्माता अथवा व्यवहारी के स्तर पर गति नियंत्रक सुनिश्चित किया गया हो एवं ऐसे वाहनों का टाईप अप्रूवल प्रमाण–पत्र की पुष्ठि मुख्यालय द्वारा जारी की गई है। मुख्यालय स्तर पर ही अधिकृत उपकरण विनिर्माताओं की सूचना प्राप्त की जा रही है। जिनका वाहनों के अनुरूप योग्यता का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावें। अवहेलना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

क्रमांकः प 07(117)/परि/नियम/1994/ 6716-23 जयपुर, दिनांकः 31/3/16

1. निजी सचिव, परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जयपुर।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण————————।
4. अपर परिहवन आयुक्त (प्रवर्तन)।
5. समस्त प्रादेशिक/ अति प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी————————।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र————————।
7. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियंत्रण)